

न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर

प्रकरण संख्या- 91 / 2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 58, 59 व 60 एच 66,86 के अन्तर्गत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित कराने वावत ।

आदेश

दिनांक 18/11/2024

तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 58, 59 व 60 एच 66,86 के अन्तर्गत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित कराने वावत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1091/125 कुल रकवा 4.9442 किस्म बंजड वाके ग्राम पूठपुरा तहसील व जिला धौलपुर में से 0.0756 है० भूमि पर पक्की सडक डली हुई है। रास्ता मौके पर लगभग 20-25 वर्ष से चालू है एवं रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है। किन्तु राजस्व अभिलेख में रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि अभिलिखित नहीं है तथा भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही भूमि का नक्शा ट्रेस संलग्न कर लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ते का अंकन करते हुए राजस्व मानचित्र एवं राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 79 का अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 1091/125 रकवा 4.9442 है० किस्म बंजड स्थित ग्राम पूठपुरा तहसील धौलपुर खाता संख्या 01 में दर्ज रिकॉर्ड है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज-6/2003 पार्ट दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि /निजि खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थाई रूप से चालू एवं राजस्व नक्शे में रेखा बिन्दुओ से दर्ज सार्वजनिक रास्ते कई जगह जहां कच्ची या पक्की सडक भी बन गई है को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु उपखण्ड अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई है। उपरोक्तानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व मानचित्र में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझती हूँ

अतः आदेश है कि आराजी खसरा नम्बर 1091/125 रकवा 4.9442 है० किस्म बंजड स्थित ग्राम पूठपुरा तहसील धौलपुर में से 0.0756 है० भूमि जिस पर पक्की सडक डली है तथा सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है एवं उपयोग में आ रहा है को राजस्व रिकॉर्ड एवं


उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)

राजस्व मानचित्र में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है शेष रकवा यथावत रहेगा । तहसीलदार धौलपुर को आदेश दिया जाता है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रस्तावित मानचित्र अनुसार राजस्व मानचित्र में लाल स्याही से तरमीम की जावे प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/11/2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)
दिनांक: 18/11/24

कमांक: कोर्ट / रास्ता प्रकरण / 2024 / 280

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1-श्रीमान जिला कलक्टर, धौलपुर
- 2-तहसीलदार धौलपुर को पालना हेतु प्रेषित है। पालना सुनिश्चित कर रिपोर्ट से अवगत करावें।

2
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)